Ex.P.-462

कथन – अमीन मेमन

थाना	–	राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो रायपुर
अपराध कमांक	–	09 / 2015
धारा	–	13(1) डी, 13(2) पी0सी0 एक्ट 1988, 109, 120 बी भा0द0वि0
नाम व पिता का नाम	–	अमीन मेमन पिता मोहम्मद असरफ मेमन
उम्र	–	25 वर्ष
पता	–	हॉस्पिटल रोड़ गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0)
मोबाईल नंबर	–	99770–03000
व्यवसाय	–	सह–संचालक अमीन ट्रेडर्स, पुराना फारेस्ट बेरीयर के पास, गरियाबंद जिला गरियाबंद (छ0ग0)

——00——

मैं अमीन मेमन पूछे जाने पर बता रहा हूं कि मैं अमीन ट्रेडर्स का सह–संचालक हूं। उक्त राईस मिल मेरे पिता मोहम्मद असरफ मेमन के नाम पर है, मिल का देख–रेख मेरे द्वारा किया जाता है। वर्ष 2013–14 में मेरा मार्कफेड से 01 लाख क्विंटल धान का अुनबंध था जिसमें से 85 हजार क्विंटल धान का कस्टम मिलिंग किया गया है। नागरिक आपूर्ति निगम में 46 हजार क्विंटल चावल जमा किये थे। वर्ष 2014–15 में 60 हजार क्विंटल धान का अनुबंध किया है जिसमें से 50 लॉट चावल नागरिक आपूर्ति निगम में जमा किया जा चुका है। माह दिसम्बर 2014 में मेरे द्वारा पिछले वर्ष 1928.65 क्विंटल चावल जमा किया गया है तथा इस वर्ष का 1614.41 क्विंटल कुल 3543.06 क्विंटल चावल मेरे द्वारा जमा किया गया है। मुझे आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो के अधिकारियों द्वारा जप्त किये गये पर्ची को दिखाया गया जिसमें अमीर ट्रेडर्स के सामने 3543.06 लिखा है जो कि मेरे द्वारा जमा किये गये चावल की मात्रा है। मेरे द्वारा नान के अधिकारियों को कलेक्शन के रूप में कोई रकम नहीं दी जाती, रकम न देने वालो को नान के अधिकारियों द्वारा स्पेश एवं क्वालिटी को लेकर परेशान किया जाता है। मेरी जानकारी के अनुसार बाकी राईस मिलर्स के द्वारा 08रू. प्रति क्विंटल की दर से कलेक्शन कर नान के अधिकारियों को दिया जाता था। यह रकम नहीं दिये जाने पर भेजे गये लॉट को रिजेक्ट कर देते है जिससे लोडिंग–अनलोडिंग, ट्रांसर्पोटेशन आदि में करीब 10–15 हजार रूपये का नुकसान होता है, इससे बचने के लिये मिलर मजबूरी में कलेक्शन की रकम देते है। यही मेरा कथन है।

दिनांक 07.04.2015

(एस0डी0 देवस्थले)
निरीक्षक
आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो,
रायपुर, छत्तीसगढ